सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 नवम्बर, 2007 ई0

अग्रहायण 01, 1929 शक सम्वत

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्या 3295 / III(1) / 07–39(अधि0) / 06

देहरादून, 22 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

सा0प0नि0–08

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली , 2007 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2– सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषाएं–

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) " भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) "विभाग" से उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "अधीनस्थ" अभियंत्रण सेवा" से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत, तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत, तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न होने और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलैन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2–संवर्ग–

4–सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा में कर्मचारियों और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।

(2) सेवा के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, संलग्न "परिशिष्ट" के अनुसार होगी ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे इस प्रकार आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग 3–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्राख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो ।

6–आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यथियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग– 4 अर्हताएं

7–राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय के पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्री लंका (पूववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगान्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपुर्यक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड के पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

8–शैक्षिक अर्हताएं–

अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यथा सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक होगा ।